भूमि के पट्टे की रजिस्ट्री पर भी निवेशकों को मिलेगी स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट

लखनऊ। प्रदेश में रक्षा एवं एयरोस्पेस के क्षेत्र में निवेश करने वालों को भूमि के पट्टे की रजिस्ट्री पर भी स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।

फैसला 05

कैबिनेट बैठक में उप्र. रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्तमान में एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों या संस्थाओं को भूमि की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट दी जाती है। अब भूमि खरीदने के साथ साथ पट्टा विलेख कराने पर भी स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। ब्यूरो